

[2023] 4 एस सी आर 63

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड।

बनाम

आयुक्त वाणिज्यिक कर और अन्य

(2010 की सिविल अपील सं.1335)

अप्रैल 10, 2023

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

केरल वैट अधिनियम, 2003-धा 6 (1) (डी), तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि स.44 (5) - अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 की प्रविष्टि 27 (4) और 66 - अपीलार्थी का मामला कि उत्पाद (i) मच्छरदानी, काँइल और वेपराइज़र; और (ii) मोर्टिन कीट नाशक ; (iii) हार्पिक टॉयलेट क्लीनर और लिज़ोल फर्श क्लीनर; और (iv) के लिए डेटॉल तरल एंटीसेप्टिक केरल वैट अधिनियम के तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 44 (5) के तहत एच. एस. एन. कोड 3808 के अनुरूप 'कीटनाशकों, कीटनाशकों' के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते थे और इसलिए 4 प्रतिशत की दर से वैट के अधीन है - (iv) डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड पर उत्पाद के संबंध में, अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि 'डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड' को प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है, जो कि तीसरी अनुसूची के एच. एस. एन. कोड 3004.90 के अनुरूप दवाएं हैं, और इस प्रकार ये भी 4 प्रतिशत की दर से कर के अधीन है।

अभिनिर्धारित: यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एच. एस. एन. कोड 3808 को प्रविष्टि 44 (5) को 01.07.2006 के प्रभाव से हटा दिया गया है और उपरोक्त उत्पाद 21.01.2006 से उपरोक्त उत्पाद क्र स 66 अर्थात् 'मच्छर विकर्षक', के अंतर्गत आएंगे, जो विशिष्ट प्रविष्टि है और 12.5% पर वैट के अधीन है - इसलिए, मच्छर मैट्स, काँइल और वेपराइज़र और मोर्टिन कीट नाशक उत्पादों को प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा- इसके आगे, एस. आर. ओ. 82/06 22.01.2006 से प्रभावित, के परिचय के बाद हार्पिक और लिज़ोल क्र. स.27 (4) के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार क्र. स. 27 (4) एक विशिष्ट प्रविष्टि है।

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

एस. आर. ओ. 82/06 डब्ल्यू. ई. एफ. 22.01.2006 की शुरुआत के बाद हार्पिक और लिज़ोल क्र. सं. के अंतर्गत आएंगे। एस. आर. ओ. 82/06 की संख्या 27 (4)। एस. आई. No.27 (4) इस प्रकार एक विशिष्ट प्रविष्टि है-जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह प्रमुख उपयोग है जो फर्श के दाग की सफाई और उन्हें हटाना है।

इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इसका मुख्यतः उपयोग जो फर्श और शौचालय के दागों को साफ करना और हटाना है--इसलिए ये कीटनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में प्रविष्टि 44(5) एचएसएन कोड संख्या 3808 के अंतर्गत नहीं आएंगे- 2006 के एसआरओ नंबर 82 की प्रविष्टि 27(4) दाग उड़ाने वाले, दाग हटाने वाले, अबीर, नीले और सभी प्रकार के सफाई पाउडर और तरल पदार्थों, फर्श और शौचालय की सफाई सहित के संबंध में है-- इसलिए हार्पिक और लिज़ोल को सामान्य प्रविष्टि 44(5) के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और किसी भी मामले में इसे प्रविष्टि 44(5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि उत्पाद हार्पिक और लिज़ोल प्रविष्टि 44 (5) के तहत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं और एसआरओ 82/2006 की प्रविष्टि 27(4) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जो 12.5% कर कि दर से धारण के योग्य है। -जहां तक (iv) डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड का संबंध है, डेटॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और चिकित्सीय और रोगनिरोधी गुणों के कारण शल्य चिकित्सा उपयोग, चिकित्सा उपयोग और दाई के काम लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाता है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, यह प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत आता है।

कानून की व्याख्या-वर्गीकरण के सिद्धांत जो कर कानून के तहत वर्गीकरण से संबंधित किसी भी मामले के लिए मौलिक हैं, वे हैं: (क) कराधान प्रावधान का स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए; (ख) किसी विशेष प्रविष्टि में वर्गीकरण को साबित करने का बोझ हमेशा राजस्व पर होता है; (ग) किसी भी अस्पष्टता को निर्धारिती के पक्ष में हल किया जाना चाहिए और उचित संदेह के मामले में, निर्धारिती को सबसे अधिक लाभदायक ,निर्माण को अपनाया जाना चाहिए; (घ) विशिष्ट प्रविष्टि अवशिष्ट प्रविष्टि पर हावी होगी; और (ई) अवशिष्ट प्रविष्टि का सहारा लेना अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, केवल तभी जब उदार निर्माण द्वारा विशिष्ट प्रविष्टि विचाराधीन वस्तुएँ को शामिल नहीं किया जा सकता है;

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

अभिनिर्धारित किया 1. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एच. एस. एन. कोड 3808 को प्रविष्टि 44 (5) को 01.07.2006 के प्रभार से हटा दिया गया है और उपरोक्त उत्पाद 21.01.2006 से उपरोक्त उत्पाद क्र स 66 अर्थात् 'मच्छर विकर्षक', के अंतर्गत आएंगे, जो विशिष्ट प्रविष्टि है और 12.5% पर वैट के अधीन है। इसलिए प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों को एक सामान्य प्रविष्टि कहा जा सकता है। एक बार जब 'मच्छर विकर्षक' की एक विशिष्ट प्रविष्टि हो जाती है, तो उसके बाद किसी को दूसरे अधिनियम अर्थात् कीटनाशक अधिनियम के तहत परिभाषा पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। केरल वैट अधिनियम की धारा 6 (1) (डी) के तहत जारी अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 दिनांक 21.01.2006 की क्र.स.66 जिसमें "मच्छर विकर्षक" शामिल हैं" [पैरा 9] [74-एच; 75-ए-बी]

2. यह भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रविष्टि 44 (5) जिसमें कीटनाशक शामिल हैं, उन उत्पादों से संबंधित है जिनका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। जहाँ तक उत्पाद विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक मच्छर विकर्षक, उपकरण और कीट विकर्षक, उपकरण और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण से संबंधित हैं और इसलिए उक्त विशिष्ट प्रविष्टि किसी भी मामले में लागू होगी, इसे कीटनाशक नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार पूरी तरह सही हैं कि मच्छर कॉइल, मच्छरदानी, और वेपराइज़र"और मोर्टिन कीट नाशक उत्पादों को प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। [पैरा 9.1] [75-बी-डी]

3. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एस. आर. ओ. 82/06 22.01.2006 के प्रभाव से, के परिचय के बाद हार्पिक और लिज़ोल क्र. स.27 (4) के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार क्र. स. 27 (4) एक विशिष्ट प्रविष्टि है। [पैरा 9.8] [77-डी-जी]

4. डेटॉल के प्रमुख उपयोग और ऊपर उल्लिखित डेटॉल के सक्रिय अवयवों पर विचार करते हुए और कि डेटॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग अस्पतालों में सर्जिकल उपयोग, चिकित्सा उपयोग और चिकित्सीय और रोगनिरोधी के कारण दाई के काम के लिए किया जाता है और प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत आती हैं जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है और अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत नहीं आती हैं जैसा कि राजस्व द्वारा दावा किया गया है। [पैरा 9.10] [78-बी-]

5. कानून की व्याख्या-वर्गीकरण के सिद्धांत जो कर कानून के तहत वर्गीकरण से संबंधित किसी भी मामले के लिए मौलिक हैं, वे हैं: (क) कराधान प्रावधान का स्पष्ट

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

अर्थ दिया जाना चाहिए; (ख) किसी विशेष प्रविष्टि में वर्गीकरण को साबित करने का बोझ हमेशा राजस्व पर होता है; (ग) किसी भी अस्पष्टता को निर्धारिती के पक्ष में हल किया जाना चाहिए और उचित संदेह के मामले में, निर्धारिती को सबसे अधिक लाभदायक ,निर्माण को अपनाया जाना चाहिए; (घ) विशिष्ट प्रविष्टि अवशिष्ट प्रविष्टि पर हावी होगी; और (ई) अवशिष्ट प्रविष्टि का सहारा लेना अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, केवल तभी जब उदार निर्माण द्वारा विशिष्ट प्रविष्टि विचाराधीन वस्तुएँ को शामिल नहीं किया जा सकता है;[पैरा 9.8] [77-डी-जी]

[1995] 3 एस. सी. आर. 369; आई. सी. पी. ए. स्वास्थ्य उत्पाद (पी) लिमिटेड बनाम. सीसीई, बडोदरा (2004) 4 एससीसी 481: [2004] 1 सप. एस. सी. आर. 409; सुजानिल चेमो इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई. और सीमा शुल्क, पुणे (2005) 4 एस. सी. सी. 189; सोनिक इलेक्ट्रोकेमिक बनाम एस. टी. ओ. (1998) 6 एस. सी. सी. 397: [1998] 3 एससीआर 1102 - संदर्भित किया गया।

नाइट क्वीन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 1214; आदेश दिनांक 14.07.2006 पारित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नाइट क्वीन [2023] 4 एस. सी. आर. में उच्चतम न्यायालय द्वारा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ; अशोक एजेंसियां बनाम राज्य कर्नाटक 2008 एससीसी ऑनलाइन कर 141; राज्य कर्नाटक बनाम गोदरेज उपभोक्ता उत्पाद लिमिटेड (2014) 80 कर एलजे 328; रेकिट बेंकिजर इंडिया लिमिटेड बनाम. राज्य आंध्र प्रदेश का (2007 का कर संशोधन मामला स.10, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय); रेकिट बेंकिजर इंडिया लिमिटेड बनाम। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य।(एस. टी. आर.-11/2012, राजस्थान उच्च न्यायालय)-निर्दिष्ट।

संदर्भित कानूनी मामले

[2008] 9 एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.4

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

[1995] 3 एससीआर 369	संदर्भित किया गया है	पैरा 4.7
[2004] 1 सप.एससीआर409	संदर्भित किया गया है	पैरा 4.12
[1998] 3 एससीआर 1102	संदर्भित किया गया है	पैरा 6

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1335, 2010 की

एनांकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 2006 के ओ. टी. ए. सं. 6 में 17.12.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिद्धार्थ बावा, आर. जवाहर लाल, अनुज गर्ग, मोहित शर्मा,

ब्रजकिशोर मिश्रा, सुश्री अपर्णा झा, अधिवक्ताएं, अपीलार्थी के लिए।

सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, आर. सतीश, अधिवक्ताएं, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एम. आर. शाह, जे.

1. एनांकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की ओटी अपील संख्या 6 में दिनांक 17.12.2008 को पारित आक्षेपित आदेश एवं निर्णय जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया और विचाराधीन वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में आयुक्त के द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर किया है।

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

2. शुरुवात में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुद्दा अपीलार्थी के उत्पादों के वर्गीकरण से संबंधित है , जैसे कि (i) मच्छरदानी, कॉइल और वेपराइज़र; और (ii) मोर्टिन कीट नाशक ; (iii) हार्पिक टॉयलेट क्लीनर और लिज़ोल फर्श क्लीनर; और (iv) के लिए डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल केरल वैट अधिनियम, 2003 (इसके बाद "केवीएटी अधिनियम"के रूप में संदर्भित) के उद्देश्य से। अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि (i) से (iii) तक के उत्पाद केरल वैट अधिनियम के तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 44 (5) के तहत एच. एस. एन. कोड 3808 के अनुरूप 'कीटनाशकों, कीटनाशकों'के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते थे और इसलिए 4 प्रतिशत की दर से वैट के अधीन है। ऊपर (iv) पर उत्पाद के संबंध में, अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि 'डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड'को प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि तीसरी अनुसूची के एच. एस. एन. कोड 3004.90 के अनुरूप दवाएं हैं, और इस प्रकार 4 प्रतिशत की दर से कर के अधीन भी है।

2.1 हालांकि, वाणिज्यिक कर आयुक्त ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उत्पाद (i) मोर्टिन मच्छर कॉइल, मच्छरदानी, और वेपराइज़र केरल वैट अधिनियम की धारा 6 (1) (घ) के तहत जारी अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 दिनांक 21.01.2006 की प्रविष्टि 66 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है एच. एस. एन. कोड 8516 79 20 के अनुरूप जो "मच्छर विकर्षक, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक मच्छर विकर्षक, उपकरण और कीट विकर्षक, उपकरण और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण"को शामिल करता है; (ii) मृत कीट नाशक अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत 12.5% की दर से कर का विषय है अर्थात् अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 के क्रम स. 103 के तहत इस आधार पर कि वे दूसरी और तीसरी अनुसूची के तहत विशेष रूप से वर्गीकृत नहीं हैं; (iii) हार्पिक टॉयलेट क्लीनर और लिज़ोल फ्लोर क्लीनर उक्त अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 के एस. आई. नं. 27 (4) और (iv) डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड उक्त अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 की प्रविष्टि 103 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है । अर्थात् इस आधार पर अवशिष्ट प्रविष्टि कि उक्त उत्पाद चिकित्सीय या

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

रोगनिरोधी गुणों वाली दवा की प्रकृति में नहीं है, बल्कि केवल सफाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

2.2 वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का विषय था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाली उक्त अपील को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

2.3 इससे पहले कि हम संबंधित पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करें, संबंधित पक्षों द्वारा निर्भर प्रासंगिक प्रविष्टियों को संदर्भित किया जाना आवश्यक है जो नीचे दिए गए हैं:

"तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 44 इस प्रकार है

क्र स	विवरण	एचएसएन कोड
४४	उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, कृतकनाशक, अंकुरित विरोधी उत्पाद और पादप वृद्धि नियामक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और इसी तरह के उत्पादों	
५	कीटनाशक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक, 3808 कवकनाशी, शाकनाशी, कृतकनाशक, अंकुरित विरोधी उत्पाद और पादप वृद्धि नियामक, और इसी तरह के उत्पाद सूक्ष्म उत्पादों के अलावा	3808

(डी) तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 36(8) (एच) (vi) इस प्रकार है

क्र स	विवरण	एचएसएन कोड
-------	-------	------------

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

३६		औषध , दवाएं और थोक औषध जिसमें युर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधि शामिल हैं परन्तु मच्छर विकर्षक और जिनका पहली अनुसूची में विशेष उल्लेखित किया गया है और जिन्हें धारा 6 के खंड डी उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है को छोड़कर	
	८	दवाइयाँ (शीर्षक संख्या एच. एस. एन. 3002, 3005 , या 3006 सामानों को छोड़कर) मापक खुराक में डाली गई चिकित्सीय या रोगनिरोधी के लिए उपयुक्त मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद, (जिनमें ट्रांसडर्मल प्रशासन प्रणाली के रूपों में शामिल हैं) या खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग के रूप में,	
		एच अन्य	
		(vi) उप-प्रविष्टियों (i) से (v) में दिए गए दवाओं के अलावा अन्य दवाएं।	3004.90

अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. सं. 82/2006 की प्रविष्टि 66, जी. ओ. (पी) संख्या 4 /2006 टीडी दिनांक 21 जनवरी 2006

वस्तुओं की सूची

क्र स	वस्तुओं का विवरण	एचएसएन कोड
-------	------------------	------------

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

(1)		(3)
66	मच्छर विकर्षक, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक मच्छर विकर्षक, उपकरण और कीट विकर्षक, उपकरण और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण	8516.79.20

3. अपीलार्थी ओर से श्री सिद्धार्थ बाबा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और उत्तरदाताओं की ओर से श्री सी. के. सासी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से मामले को स्वीकार नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है कि उत्पाद आइटम संख्या 1 से 3 को केवीएटी अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 44 (5) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने आयुक्त की ओर से मामले को स्वीकार करते हुए भौतिक रूप से गलती की है कि उपरोक्त उत्पाद संख्या। (i) से (iii) एस. आर. ओ. 82/2006 के मद सं 66 के अंतर्गत आएगा और इसलिए 12.5% कर के अधीन हैं।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए भी गलती की है कि उत्पाद डेटॉल एस. आर. ओ. 82/2006 की अवशिष्ट प्रविष्टि अर्थात् क्र.स.103 के अंतर्गत आएगा और के. वी. ए. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के अंतर्गत नहीं आएगा ।

4.3 जहां तक उत्पाद मोर्टिन रेंज और मोर्टिन स्प्रे से संबंधित है , यह अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि एस. आर. ओ. 82/2006 की शुरुआत के बाद भी, मोर्टिन रेंज और मोर्टिन स्प्रे को कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहा है, क्योंकि वे कीटनाशक अधिनियम के तहत जारी कीटनाशक लाइसेंस के तहत निर्मित होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मोर्टिन स्प्रे कीटों को मारता है, इसलिए उत्तरदाताओं की व्याख्या के अनुसार भी, मोर्टिन

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

स्प्रे एस. आर. ओ./2006 के आइटम सं.66 के अंतर्गत नहीं आ सकता है, क्योंकि आइटम सं. 66 केवल मच्छर विकर्षक से संबंधित है।

4.4 उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निर्णय पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड बनाम सीटीटी (2008) 8 एससीसी 369 (पैरा 35) पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भी भरोसा किया है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नाइट क्वीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 2005 एससीसी ऑनलाइन इला 1214 (पैरा 23 से 36); क्र. सं. 22 @ पृष्ठ 282-297 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2006 ; अशोक एजेंसियां बनाम कर्नाटक राज्य 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 141 (पैरा 8 से 12); क्र.स 24 @पृष्ठ 301-307; कर्नाटक राज्य बनाम गोदरेज उपभोक्ता उत्पाद लिमिटेड (2014) 80 कर एलजे 328 (पैरा 15); क्र. सं. 25 @पेज 308-313

4.5 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यह उत्तरदाताओं की ओर से एक मामला है कि 21.01.2006 से मोर्टेन रेंज और मोर्टेन स्प्रे क्र.स.66 (मच्छर विकर्षक) के अंतर्गत आएंगे, जो विशिष्ट प्रविष्टि है और 12.5% वैट के अधीन है और कीटनाशक (अनुसूची III की प्रविष्टि 44 (5)) एक सामान्य प्रविष्टि है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए दो प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियों अर्थात प्रविष्टि 44(5) (कीटनाशक) और क्र. सं.66 (मच्छर विकर्षक) के बीच वर्गीकरण का मुद्दा 21.01.2006 से शुरू किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए राजस्व के अनुसार, मॉर्टेन रिपेलेंट/मोरेटिन रेंज के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा, क्योंकि अन्य वैट अधिनियमों के तहत प्रविष्टियों में "मच्छर विकर्षक" के लिए कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है।

4.6 यह प्रस्तुत किया गया कि हालाँकि अपीलार्थी ने 4 प्रतिशत कर का दावा करते हुए उक्त अनुसूची की प्रविष्टि 44 (5) पर उचित रूप से भरोसा किया है।

4.7 जहाँ तक उत्पाद हार्पिक और लिज़ोल का संबंध है, यह अपीलार्थी की ओर से मामला है कि केरल राज्य ने केवीएटी अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 44 (5) से एचएसएन कोड 3808 को हटाते हुए 07.01.2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव से एक अधिसूचना दिनांक 24.10.2006 जारी किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एच.

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

एस. एन. कोड 3808 को हटाने के बाद भी हार्पिक और लिज़ोल प्रविष्टि 44 (5) में आते रहेंगे, क्योंकि वे दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम/नियमों के तहत कीटाणुनाशक हैं और उक्त अधिनियम के तहत कीटाणुनाशक के रूप में दिए गए लाइसेंस के तहत निर्मित हैं। उपरोक्त के समर्थन में इस न्यायालय के फैसले उन्होंने पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) और बॉम्बे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. 1995 (ऊपर). (2) एससीसी 646 और 2007 के कर संशोधन वाद सं.10 में आंध्र प्रदेश राज्य रेकिट बेंकिजर इंडिया लिमिटेड बनाम रेकिट बेंकिजर इंडिया लिमिटेड के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय के मामले में पर भरोसा किया है।

4.8 अब जहाँ तक उत्पाद डेटॉल का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि डेटॉल एक एंटीसेप्टिक तरल है जो ड्रग लाइसेंस के तहत निर्मित होता है और यह संक्रमण को रोकता है। यह प्रस्तुत किया कि इसे एक आवश्यक दवा माना जाता है और इसलिए इसकी कीमत डी. पी. सी. ओ. के तहत नियंत्रित की गई थी और डी. पी. सी. ओ., 2013 के तहत डेटॉल के एम. आर. पी. की निगरानी जारी है।

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि डेटॉल विशेष रूप से अनुसूची III की प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) में शामिल एच. एस. एन. 3004 90 के अंतर्गत आता है, इसलिए डेटॉल अनुसूची III की प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत एक दवा/दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि अनुसूची III की प्रविष्टि 36 के तहत व्याख्या के नियमों के नोट 23 में, केवल आहार भोजन, मधुमेह भोजन, खाद्य पूरक, औषधीय साबुन, रक्त एल्युमिन आदि को बाहर नहीं किया गया है।

4.10 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एचएसएन कोड को अनुसूची III की प्रविष्टि 36(8)(एच)(vi) से नहीं हटाया गया था भले ही अधिसूचना केजी एक्सटेंशन संख्या 1670 दिनांक 24.10.2006 के आधार पर (01.07 से पूर्वव्यापी रूप से दिनांक 01.07.2006 से प्रभावी)), एचएसएन कोड को अनुसूची III की प्रविष्टि 44(5) में हटा दिया गया था जिसके तहत अपीलकर्ता ने मोर्टिन रेंज, मोर्टिन स्प्रे, हार्पिक और लिज़ोल को वर्गीकृत किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि इसलिए डेटॉल प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के अंतर्गत आता है।

4.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डेटॉल के सक्रिय तत्व क्लोरोक्सिलेनॉल आई. पी., टर्पिनोल वी. पी., अल्कोहल एब्सोल्यूट आई. पी. (विकृत) हैं और यह रोगाणुनाशक गुणों वाला एक एंटीसेप्टिक है; यह रोगाणुओं, जीवाणुओं को मारता है और

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

यह संक्रमण को रोकता है इसलिए इसे घावों, कटने, खरोंचने, काटने और डंक पर लगाया जाता है और चिकित्सीय और रोगनिरोधी गुणों के कारण इसका उपयोग अस्पतालों में शल्य चिकित्सीय उपयोग, चिकित्सा उपयोग और दाई के लिए किया जाता है।

4.12 यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने आई. सी. पी. ए. स्वास्थ्य उत्पाद (पी) लिमिटेड बनाम आई. सी. पी. ए. स्वास्थ्य उत्पाद (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई, बडोदरा (2004) 4 एससीसी 481 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि उक्त उत्पादों का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले त्वचा को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, 9वें संस्करण के अनुसार "रोगनिरोधी"शब्द का अर्थ होगा, "रोगों को रोकने का इरादा, एक निवारक दवा या कार्रवाई का क्रम"। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त उत्पादों का उपयोग घावों और खरोंच और मामूली चोटों की सफाई के लिए और शल्य चिकित्सा से पहले त्वचा को कीटाणुरहित करने के लिए क्लींजर के रूप में किया जाता है। इसमें चिकित्सीय और रोगनिरोधी गुण होते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए डेटॉल एक औषधी/दवा है।

4.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय सुजानिल केमो इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई और सीमा शुल्क, पुणे (2005) 4 एससीसी 189 (पैरा 6) के मामले में मानव बालों में जूँ को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले लाइसेल के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी दवा जो रोग को मारती है या उपशामक या उपचारात्मक है, उपचारात्मक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लाइसेल मानव बाल में जूँ के संक्रमण का इलाज करता है और इस प्रकार चिकित्सीय है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस तरह लागू करने हुए डेटॉल भी एक दवा है।

4.14 यह प्रस्तुत किया गया कि पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने व्यापार कर/वैट कानूनों के तहत वर्गीकरण के संबंध में ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत परिभाषित 'ड्रग'की परिभाषा और इस तथ्य पर विचार किया है कि उत्पाद को दवा लाइसेंस के तहत बेचा जाता है क्योंकि दवा या दवा को व्यापार कर/वैट कानूनों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि है कि डेटॉल का निर्माण दवा और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के तहत जारी औषध लाइसेंस के तहत किया जाता है और इसकी कीमत को डी. पी. सी. ओ., 2013 सहित समय-समय पर जारी दवा मूल्य नियंत्रण आदेशों के तहत राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है।

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

4.15 यह प्रस्तुत किया जाता है कि औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियमों का नियम 123 अनुसूची के तहत आने वाली दवाओं के लिए उसमें दी गई सीमा तक कुछ अपवाद प्रदान करता है। प्रविष्टि 39 घरेलू उपयोग के लिए तरल एंटीसेप्टिक्स से संबंधित है। अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि डेटॉल एक एंटीसेप्टिक होने के नाते औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के नियम 123 के तहत प्रदान की गई अनुसूची के की प्रविष्टि 39 के तहत आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त पहलू पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि वैसलीन व्हाइट पेट्रोलियम जेली एक दवा है क्योंकि यह औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम/नियमों के नियम 123 के तहत प्रदान की गई अनुसूची के की प्रविष्टि 28 के तहत आता है।

4.16 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आछेपित निर्णय वर्गीकरण के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने में विफल रहा है जो कि कर कानून के तहत वर्गीकरण से संबंधित किसी भी मामले के लिए मौलिक हैं जैसा कि (क) कर प्रावधान को स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए; (ख) किसी विशेष प्रविष्टि में वर्गीकरण को साबित करने का बोझ हमेशा राजस्व पर होता है ; (ग) किसी भी अस्पष्टता का समाधान निर्धारिती के पक्ष में होना चाहिए और एक उचित संदेह के मामले में, निर्धारिती के लिए सबसे अधिक फायदेमंद निर्माण को अपनाया जाना चाहिए; (घ) विशिष्ट प्रविष्टि एक अवशिष्ट प्रविष्टि को ओवरराइड करेगी; और (ङ) अवशिष्ट प्रविष्टि का सहारा लेना अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, केवल तभी जब उदार निर्माण द्वारा विशिष्ट प्रविष्टि प्रश्रुत माल को कवर नहीं कर सकती है।

4.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि रेकिट बेंकिजर इंडिया लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एसटीआर-11/2012 के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय ने, असम वैट अधिनियम और राजस्थान वैट अधिनियम की संबंधित प्रविष्टियों के तहत डेटॉल को एक दवा माना है और उन राज्यों में राजस्व की प्रस्तुति को खारिज कर दिया है कि डेटॉल अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एसएलपी को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

5. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

6. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए राजस्व की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सासी ने जोरदार तरीके से कहा है कि उत्पाद मोर्टिन रेंज और मोर्टिन स्प्रे को प्रविष्टि संख्या 44 (5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है। यह कहा गया कि "मोर्टिन मच्छर काँइल, मच्छरदानी, और तरल वेपराइज़र" कीटनाशक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और यह सोनिक इलेक्ट्रोकेम बनाम एस. टी. ओ., (1998) 6 एस. सी. सी. 397 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर यह अस्थिर है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि उत्पाद 'जेट मैट' जो 'डी-एलेथ्रिन 4 प्रतिशत' वाला एक व्यापारिक नाम है और जिसे व्यावसायिक रूप से 'मच्छर विकर्षक मैट' के रूप में जाना जाता है, एक मच्छर विकर्षक है इस तथ्य के बावजूद कि यह न केवल मच्छरों को भगाता है, बल्कि मच्छरों को मारने में भी सक्षम है और यह मानना मुश्किल है कि यह एक कीटनाशक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्पाद "मोर्टिन मच्छर काँइल, मच्छरदानी, और तरल वेपराइज़र" निश्चित रूप से प्रविष्टि 66 "मच्छर विकर्षक" के तहत आएगा।

6.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी-निर्धारिती अपने मामले के उत्पादों मोर्टिन रेंज और मोर्टिन स्प्रे के समर्थन में प्रविष्टि संख्या 44(5) पर निर्भर कर रहा है, जो प्रविष्टि 44(5) के तहत कीटनाशकों के रूप में आएंगे। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रविष्टि 44(5) उन उत्पादों से संबंधित है जिनका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रविष्टि के सभी उत्पादों का उपयोग कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के उत्पादन और खरपतवार, कीट आदि जो पौधों पर हमला करते हैं के नियंत्रण के संबंध में किया जाता है।

6.2 यह प्रस्तुत किया गया कि हार्पिक टॉयलेट क्लीनर और लिज़ोल फ्लोर क्लीनर जैसे उत्पाद का उपयोग कृषि क्षेत्र में कीट और कीटनाशक नियंत्रित करने के संबंध में नहीं किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है इन उत्पादों के नाम में "टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर" शब्द हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "हार्पिक टॉयलेट क्लीनर" और "लिज़ोल फ्लोर क्लीनर" विशेष रूप से शौचालय और फर्श की सफाई के लिए है और इसलिए इसे कीटनाशक नहीं माना जा सकता है।

6.3 यह प्रस्तुत किया गया कि जहाँ इस न्यायालय का निर्णय बॉम्बे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में निर्भरता रखी गई है पूरी तरह से गलत है और तत्काल मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बॉम्बे केमिकल प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय केंद्रीय अभ्यास नमक अधिनियम, 1944 के

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

तहत "कीटनाशकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों और कवकनाशकों आदि"के प्रवेश पर विचार कर रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रविष्टि केवीएटी अधिनियम की प्रविष्टि 44 से अलग है जो विशेष रूप कृषि कार्यों से संबंधित उत्पाद हैं।

6.4 अब जहाँ तक उत्पाद डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि इसे चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए दवा के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि एक दवा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपचार के लिए किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से पाया है कि अपीलार्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि डेटॉल किसी भी बीमारी को रोकने या ठीक करने में सक्षम है और इसलिए डेटॉल को दवा नहीं सही माना गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए डेटॉल अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आएगा।

7. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

9. जहाँ तक उत्पाद मोर्टिन मच्छर काँइल, मच्छरदानी, और वेपराइज़र"का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि उक्त उत्पाद के. वी. ए. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 44 (5) के अधीन आएंगे और एच. एस. एन. कोड 3808 के अंतर्गत आएंगे। इसलिए, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि उपरोक्त उत्पाद प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं और इसलिए 4 प्रतिशत कर के लिए प्रभार्य होंगे। अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि उपरोक्त उत्पादों का निर्माण कीटनाशक अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत किया जाता है और इसलिए उक्त उत्पादों को प्रविष्टि 44 (5) के तहत वर्गीकृत कीटनाशक कहा जा सकता है। उपरोक्त में कोई सार नहीं है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एच. एस. एन. कोड 3808 को प्रविष्टि 44 (5) को 01.07.2006 के प्रभार से हटा दिया गया है और उपरोक्त उत्पाद 21.01.2006 से उपरोक्त उत्पाद क्र स 66 अर्थात् 'मच्छर विकर्षक ', के अंतर्गत आएंगे, जो विशिष्ट प्रविष्टि है और 12.5% पर वैट के अधीन है। इसलिए प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों को एक सामान्य प्रविष्टि कहा जा सकता है। एक बार जब 'मच्छर विकर्षक 'की एक विशिष्ट प्रविष्टि हो जाती है, तो उसके बाद किसी को दूसरे अधिनियम अर्थात् कीटनाशक अधिनियम के तहत परिभाषा पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। केरल वैट अधिनियम की धारा 6 (1) (डी) के तहत जारी

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 दिनांक 21.01.2006 की क्र.स.66 जिसमें "मच्छर विकर्षक" शामिल हैं।

9.1 अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रविष्टि 44 (5) जिसमें कीटनाशक शामिल हैं, उन उत्पादों से संबंधित है जिनका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। प्रविष्टि में सभी उत्पादों का उपयोग कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों को उगाने और कीट, कीटनाशकों जो पौधों पर हमला करते हैं आदि के नियंत्रण के संबंध में किया जाता है। इसलिए, अधिसूचना एस. आर. ओ. 82/06 दिनांक 21.01.2006 की विशिष्ट प्रविष्टि स 66 को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त उत्पादों अर्थात् मच्छर विकर्षक, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक मच्छर विकर्षक, उपकरण और कीट विकर्षक, उपकरण और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण सही रूप से वर्गीकृत किए गए हैं। अब जहाँ तक इस न्यायालय के बॉम्बे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर निर्भरता की बात है। का संबंध है, उक्त निर्णय केवीएटी अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रविष्टियों से निपटने के दौरान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुरूप प्रविष्टि के तहत मामला था। वर्तमान मामले में के. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत मच्छर विकर्षक एक विशिष्ट प्रवेश है जहाँ तक उत्पाद विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक मच्छर विकर्षक, उपकरण और कीट विकर्षक, उपकरण और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण संबंधित हैं और इसलिए उक्त विशिष्ट प्रविष्टि किसी भी मामले में लागू होगी, इसे कीटनाशक नहीं कहा जा सकता है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि मच्छर कॉइल, मच्छरदानी, और वेपराइज़र"और मोर्टिन कीट नाशक उत्पादों को प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

9.2 अब जहाँ तक हार्पिक और लिज़ोल उत्पादों का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि इसे केवीएटी अधिनियम-एचएसएन कोड 3808 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 44 (5) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और उक्त उत्पादों को कीटनाशकों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

(4) एक विशिष्ट प्रविष्टि है।

9.4 यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी उपरोक्त दो उत्पादों के उपयोग पर विचार किया है। उपरोक्त दोनों उत्पादों का उपयोग फर्श और शौचालय की सफाई के लिए किया जाता

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है और यहां तक कि उत्पाद विवरण और उत्पादों में बताए गए उपयोग की प्रकृति से, उक्त दो वस्तुएं अनिवार्य रूप से दाग हटाने वाले और डिओडोरेंट के रूप में उपयोग की जाती हैं। केवल इसलिए कि वे कीटाणुओं को भी मारते हैं उन्हें इसे प्रविष्टि 44 (5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इसका मुख्यतः उपयोग जो फर्श और शौचालय के दागों को साफ करना और हटाना है। इसलिए ये कीटनाशक या कीटाणुनाशक के रूप में प्रविष्टि 44(5) एचएसएन कोड संख्या 3808 के अंतर्गत नहीं आएंगे। 2006 के एसआरओ नंबर 82 की प्रविष्टि 27(4) दाग उड़ाने वाले, दाग हटाने वाले, अबीर, नीले और सभी प्रकार के सफाई पाउडर और तरल पदार्थों, फर्श और शौचालय की सफाई सहित के संबंध में है। मामले को देखते हुए प्रविष्टि 27(4) एक विशिष्ट प्रविष्टि होने के कारण वही लागू होगी और उपरोक्त दो उत्पाद अर्थात् हार्पिक और लिज़ोल को सामान्य प्रविष्टि 44(5) के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और किसी भी मामले में इसे प्रविष्टि 44(5) के तहत कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि उत्पाद हार्पिक और लिज़ोल प्रविष्टि 44 (5) के तहत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं और एसआरओ 82/2006 की प्रविष्टि 27(4) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जो 12.5% कर कि दर से धारण के योग्य है।

9.5 हालाँकि, जहाँ तक उत्पाद डेटॉल का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि डेटॉल एक तरल एंटीसेप्टिक है और इसलिए इसे प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत एक औषध/दवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। डेटॉल के सक्रिय तत्व क्लोरोक्सिलेनॉल आई. पी., टर्पिनोल बी. पी., अल्कोहल एब्सोल्यूट आई. पी. (विकृत) हैं और यह रोगाणुनाशक गुणों वाला एक एंटीसेप्टिक है और यह कीटाणुओं, बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण को रोकता है इसलिए इसे घावों, कटों, चराई, काटने और डंकों पर लगाया जाता है। इसका उपयोग अस्पतालों में शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उपयोग के लिए भी किया जाता है।

9.6 इस प्रकार डेटॉल का उपयोग एक एंटीसेप्टिक तरल के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग उपचारात्मक और रोगनिरोधी गुणों के कारण शल्य चिकित्सा उपयोग, चिकित्सा उपयोग और दाई के लिए अस्पतालों में किया जाता है। इसलिए, इसे दवा की एक वस्तु कहा जा सकता है जिसे औषध और दवा के रूप में माना जाना चाहिए। यहाँ भी प्रमुख उपयोग एक प्रासंगिक विचार है।

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

9.7 पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड (उपर) के मामले में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय कि क्या कोई विशेष वस्तु प्रासंगिक प्रविष्टि या वर्गीकरण के तहत शामिल की जाएगी, विभिन्न परीक्षण अर्थात् शब्दकोश का अर्थ, तकनीकी अर्थ, उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण, लोकप्रिय अर्थ आदि को लागू किया जाए। पैराग्राफ 35 और 38 में इसे इस रूप में देखा और माना गया है

"35... किसी कर कानून में किसी प्रविष्टि की व्याख्या करते समय, न्यायालय की भूमिका विभिन्न कोणों से विचार करने पर उसके प्रभाव पर विचार करने की होगी। कर कानून में किसी प्रविष्टि की व्याख्या के लिए विभिन्न परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, अर्थात्, शब्दकोश का अर्थ, तकनीकी अर्थ, उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण, लोकप्रिय अर्थ, आदि। "

XXX XXX XXX

"38. क्या कोई उत्पाद एक दवा होगी या एक सौंदर्य प्रसाधन कभी-कभी एक कठिन सवाल खड़ा करता है और इस प्रकार, इसका जवाब आसान नहीं हो सकता है। उक्त प्रयोजन के लिए, न्यायालय को न केवल इसकी सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि प्रविष्टि के इतिहास, जिस उद्देश्य के लिए उत्पाद का उपयोग किया गया है, जिस तरीके से संबंधित कानून के तहत इस पर विचार किया गया है और साथ ही लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा इसकी व्याख्या पर भी विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

9.8 इस प्रकार, कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, किसी प्रविष्टि पर विचार करते समय वर्गीकरण के सिद्धांत जो कर कानून के तहत वर्गीकरण से संबंधित किसी भी मामले के लिए मौलिक हैं वे:

(क) कराधान प्रावधान का स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए;

(ख) किसी विशेष प्रविष्टि में वर्गीकरण को साबित करने का बोझ हमेशा राजस्व पर होता है। ;

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

(ग) किसी भी अस्पष्टता को निर्धारिती के पक्ष में हल किया जाना चाहिए और उचित संदेह के मामले में, निर्धारिती को सबसे अधिक लाभदायक ,निर्माण को अपनाया जाना चाहिए;

(घ) विशिष्ट प्रविष्टि अवशिष्ट प्रविष्टि पर हावी होगी; और

(ई) अवशिष्ट प्रविष्टि का सहारा लेना अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, केवल तभी जब उदार निर्माण द्वारा विशिष्ट प्रविष्टि विचाराधीन वस्तुएँ को शामिल नहीं किया जा सकता है।

9.9 इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय ने डेटॉल को एक दवा माना है और असम वैट अधिनियम और राजस्थान वैट अधिनियम की संबंधित प्रविष्टियों ने राजस्व की इस दलील को खारिज कर दिया है कि डेटॉल अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। यह ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राजस्व ने इस न्यायालय में एसएलपी दायर की थी जो इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था।

9.10 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और डेटॉल के प्रमुख उपयोग और ऊपर उल्लिखित डेटॉल के सक्रिय अवयवों पर विचार करते हुए और कि डेटॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग अस्पतालों में सर्जिकल उपयोग, चिकित्सा उपयोग और चिकित्सीय और रोगनिरोधी के कारण दाई के काम के लिए किया जाता है और प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत आती हैं जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है और अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत नहीं आती हैं जैसा कि राजस्व द्वारा दावा किया गया है। उस हद तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित निर्णय और आदेश रद्द और अपास्त कर दिये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होता है। मोर्टिन मच्छर काँइल, मच्छरदानी, और वेपराइज़र"और मोर्टिन कीट नाशक; हार्पिक टॉयलेट क्लीनर और लिज़ोल फ्लोर क्लीनर जैसे उत्पादों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है। जहां तक डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित फैसले और आदेश का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित फैसले और आदेश को अपास्त किया जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि डेटॉल उत्पाद केवीएटी

मेसर्स रेकिट बेंकिजर (इंडिया) लिमिटेड। वी. आयुक्त वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2023] 4 एस सी आर

अधिनियम की अनुसूची III की प्रविष्टि 36 (8) (एच) (vi) के तहत आएगा और उस पर 4 प्रतिशत कर धारण के योग्य है।

तदनुसार, वर्तमान अपील की उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

अंकित ज्ञान

(सहायक: महेंद्र यादव, एलसीआरए)

सत्यकाम प्रियदर्शी